If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Departmental Promotional Committee (for considering promotion) comprising of: 1. Additional Medical Superintendent , Safdarjung Hospital, New Delhi - Chairman 2. Head of Medical Records Department - Member 3. Deputy Director Administration, in charge or Medical Hospital Division in Directorate General of Health Services - Member 4. Deputy Director Admn. Safdarjung Hospital - Member	Consultation with the Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. A.11018/33/2017-MH- II]

G. P. SAMANTA, Under Secy.

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2018

सा.का.नि. 293.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, आशुलिपिक श्रेणी -। भर्ती नियम, 2003 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय**,** केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में आशुलिपिक श्रेणी -। और आशुलिपिक श्रेणी -।। के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं**,** अर्थात् :**--**

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, आशुलिपिक, श्रेणी-1, समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय हैं कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
आशुलिपिक श्रेणी-1	42* (2018) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 6 (35,400 रु.)	चयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
18-27 वर्ष के बीच **टिप्पण 1 :** केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए **5** वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	**आवश्यक: (1)** मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12 वीं पास, श्रुतलेख 100 शब्द प्रति मिनट की दर से 10 मिनट अनुलिपिकरण : कम्पयूटर पर 40 मिनट (अग्रेजी) और 55 मिनट (हिन्दी) **<u>वांछनीय</u>** सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वायत्त संगठन या विश्वविद्यालय या कानूनी निकाय या मान्यताप्राप्त संगठन में आशुलिपि में एक वर्ष का अनुभव **टिप्पण 1** - अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाए, कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2**- अनुभव संबधी अर्हता (अर्हताएं) , उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाए, कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	(i) 20 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; और (ii) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)

प्रोन्नति:

वेतन मैट्रिक्स में स्तर -4 (25,500) में के ऐसे आशुलिपिक श्रेणी-2 जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो।

<u>प्रशिक्षण:</u> सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्था (आईएसटीएम), नई दिल्ली/राजीव गांधी राष्ट्रीय भूमिगत जल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, रायपुर से दो सप्ताह का सचिवालय व्यवसाय (स्तर-1) प्रशिक्षण।

टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

प्रतिनियुक्ति:—

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के अधीन ऐसे अधिकारी--

(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर -4 में के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष सेवा की हो ; और

(ख) स्तंभ **7** के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो ।

टिप्पण 1--पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3-प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-- 1. अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड — अध्यक्ष 2. निदेशक(प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड — सदस्य 3. केंद्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग से वैज्ञानिक –डी /अधीक्षण इंजीनियर, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 से अन्यून पंक्ति का कोई अधिकारी — सदस्य 4. केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 का कोई अधिकारी — सदस्य **समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :--** 1. अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड — अध्यक्ष 2. निदेशक(प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड — सदस्य 3. केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 का कोई अधिकारी — सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं ।

[फा. सं. 21/2/2010-सीजीडब्ल्यूबी]

एस. के. कटारिया, अवर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

New Delhi, the 28th August, 2018

G.S.R. 293.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Ground Water Board, Stenographer Grade-I, Recruitment Rules, 2003, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade-I and Stenographer Grade-II in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board, Ministry of Water Resources, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Ground Water Board, Stenographer, Grade-I, Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of the post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualification and matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications.— No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of such rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Stenographer Grade-I.	42* (2018) *subject to variation dependent on workload .	General Central Service, Group'B' non-Gazetted, Ministerial.	Level-6 in the pay matrix, (Rs.35,400).	Selection

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 to 27 years. **Note 1:** Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time. **Note 2:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division	**Essential:** (1) 12th pass from a recognised Board or University, and Dictation 10 minutes at the rate of 100 words per minute and transcription : 40 minutes (English) and 55 minutes (Hindi) on Computer. **Desirable** One year experience in Stenography from a Government or Public Sector Undertaking or Autonomous Organization or University or Statutory Body or recognised Organisation. **Note 1.** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise	Not applicable	Two years

of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	well qualified. **Note 2.** Qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidate from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.		

Method of recruitment whether by direct recruitment or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grade from which promotion or deputation / absorption is to be made
(10)	(11)
(i) Twenty per-cent by promotion failing which by deputation; and (ii) eighty per-cent by direct recruitment.	**Promotion:** Stenographer Grade-II in level-4 (Rs.25,500) in the pay matrix with ten years regular service in the grade. **<u>Training:</u>** Two weeks Secretariat Practices (Level-I) training from Institute of Secretariat Training and Management (ISTM), New Delhi / Rajiv Gandhi National Ground Water Training and Research Institute, Central Ground Water Board, Raipur. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Deputation:** Officers from the Central or State Governments or Union territories:- a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; OR (ii) with ten years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-4 in the pay matrix in the parent cadre or department, and (b) possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruits under column (7).

	Note 1: The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation/absorption. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre posts held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years. **Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee consisting of:- 1. Chairman, Central Ground Water Board - Chairman 2. Director (Administration), Central Ground Water Board - Member 3. An officer from another Central Government Department not below the rank of Scientist-D / Superintending Engineer, Central Ground Water Board in level-12 in the pay matrix - Member 4. An Officer of Central Ground Water Board in Level-11 in the pay matrix – Member **Group 'B' Departmental Confirmation Committee consisting of:-** 1. Chairman, Central Ground Water Board – Chairman 2. Director (Administration), Central Ground Water Board - Member 3. An Officer of Central Ground Water Board in level-11 in the pay matrix – Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. 21/2/2010-CGWB]
S.K. KATARIA, Under Secy.

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2018

सा का नि. 294.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, पुस्तकालय और सूचना सहायक, समूह 'ख' भर्ती नियम, 2014 संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, पुस्तकालय और सूचना सहायक, समूह 'ख' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।